

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22112021-231277
SG-DL-E-22112021-231277

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 260
No. 343]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943	[N. C. T. D. No. 260

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 20/2021-राज्य कर

सं0फा0 03(116)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/315.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 04/2018-राज्य कर, दिनांक 23 फरवरी, 2018 जिसे सं0फा0 03(86)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/92, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के तहत, दिल्ली के राजपत्र, आसाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में चौथे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा:—

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कर अवधि जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही से, जैसा भी मामला हो, के लिए देय कुल विलंब फीस की राशि, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत

व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो प्ररूप जीएसटीआर – 1 में जावक आपूर्ति के ब्योरे का विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन किया जाएगा, अर्थात्: –

तालिका

क्रमांक (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	राशि (3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी कर अवधि में कोई जावक आपूर्ति नहीं है	दो सौ पचास रुपये
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	एक हजार रुपये
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	दो हजार पांच सौ रुपये

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

नोट:—मूल अधिसूचना संख्या 04/2018—राज्य कर, दिनांक 23 फरवरी, 2018 को सं0फा0 03(86)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/92, तारीख 23 फरवरी, 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 53/2020—राज्य कर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020, जिसे सं0फा0 03(66)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/238, तारीख 21 दिसम्बर, 2020 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2021

No. 20/2021—State Tax

No. F.3(116)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/315.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 04/2018— State Tax, dated the 23rd Feb, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3(86)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/92, dated the 23rd Feb, 2018, namely:—

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onward, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** by the due date, namely:—

Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Amount (3)
1.	Registered persons who have nil outward supplies in the tax period	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees

3.	Registered persons having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees
----	---	--------------------------------------

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note: The principal notification No.4/2018-State Tax, dated 23rd February, 2018 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(86)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/92, dated the 23rd February, 2018 and was last amended vide notification No. 53/2020 – State Tax, dated the 21st December, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (66)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/238, dated the 21st December, 2020.